सूचना पाने का अधिकार

*** प्राचार्य डॉ. अजय पाटील ** प्रा. अमोल काळे**

लोकतांन्त्रिक शासन व्यवस्था में लोकप्रशासन को सक्रिय, गतिशील और पारदर्शक बनाने के लिए यह सूचना पाने का अधिकार आवश्यक है । विश्वभर में बदलते समाजिक, अर्थिक परिवेश में जनता आपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो रही है । अधिकांश जनता कि यह राय थी कि गोपनियता बरखने के प्रयासों से सरकारी पदाधिकारीयों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की संभावनाऐ बढ जाती है। विभिन्न कारकों से सरकारी कार्यपद्धती में अधिक पारदर्शिता कि माँग कि गई है । भारत में सूचना के अधिकार कि लढाई आझादी की दूसरी और लोकतंत्र कि पहली लढाई माने गई । सूचना के अधिकार को अधिक व्यापक मानकर संघर्ष किया है। विचारों का स्वातंत्र्य प्रसारण ही इस स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश है। सामान्य हितों के विषयों पर विचार और सूचना ग्रहण करणे, जानने और प्राप्त करने, कराने का अधिकार एवं चूप रहने का अधिकार भी है। किसी व्यक्तिद्वारा अपने विचारों कि अधिव्यक्ति करना किसी लोकतंत्र कि प्राण शक्ति है। इसके बिना जनता कि तार्किक एवं अलोचनात्मक शक्ति को जो प्रजातांत्रिक सरकार के संचालन के लिए आवश्यक है। विकसीत करना संभव नही है। लोकतांत्रिक सरकार खुली सरकार होती है। जिसके विषय में जनता को जानने का अधिकार होता है। लोकतंत्र में इस स्वतंत्रता का वही स्थान है। जो शरीर में "रक्त संचार" का होता है। सूचना पाने का अधिकार विश्व को स्विडन कि ओर से मिली देन है। स्विडन पहला देश है। जिसने सन १७७६ में सूचना कि स्वतंत्रता नागरिकों को प्रदान कि। इससे Freedom of Presas Act इस नाम से स्विडन मे जाना जाता था । फिनलँड ने १९५१, डेनमार्क और नार्वे ने १९७०, अमेरिकाने १९६६ मे सूचना कि स्वतंत्रता से संबंधित विधियों का निर्माण किया १९७० दशक में ऑस्ट्रीया, फ्रान्स और निदरलँड जैसे देशो में सूचना पाने के अधिकार जैसी विधियाँ अस्तित्व में आयी। दक्षिण आफ्रिका ने संविधानिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया । २० सदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ विश्व के ५६ राष्ट्रोने सूचना पाने के अधिकार का स्वीकार किया।

भारत में सूचना के अधिकार कि माँग आपत्काल के बाद से शुरु हुई । जस्टिस पी. के. गोस्वामी कि अध्यक्षता में १९७८ में द्वितीय प्रेस आयोग का गठन कर उसके बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया। प्रेस परिषद से सितंम्बर १९९६ में भारत सरकार के आगे सूचना के अधिकार का मॉडेल विधेयक प्रस्तुत किया। देश में सूचना के अधिकार का वातावरण बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (A. I. R. No. 1932-SC-14), हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ (A. I. R. No. 1960 (2)-SC-671), उत्तरप्रदेश सकरार बनाम राजनारायण सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों के अलावा कई उच्च न्यायालयों ने सूचना के अधिकार को जरुरी साबीद किया। भारत में एक संपूर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम कि आवश्यकता, जरुरत जाँचने के लिए एच. डी. शौरी, कामन कौज कि अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल कि स्थापना कि गई। इस दल कि रिपोर्ट के आधार पर "सूचना कि स्वतंत्रता अधिनियम" तैयार कर के २००२ में आम आदमी के लिए सूचना हेतू प्रकाशित किया गया । इस विधेयक में नागरिकों को सूचना मॉगने का अधिकार तो दिया था लेकिन प्रशासन सूचना देने के लिए बंधनकारक नही था। सूचना अधिकार अधिक प्रगतिशील, सार्थ बनाने के लिए यू. पी. ए. सरकार ने २३ दिसंम्बर २००४ को संसद में सूचना का अधिकार पुर्नःस्थापित किया। ११ मई २००५ को लोकसभा ने स्विकृती दे दी। देश में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने के उद्देश से ऐतिहासिक सूचना का अधिकार कानून १२ अक्टूंबर २००५ से भारत देशभर में लागू हो गया । २६ अक्टूंबर २००५ को केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जिसमें वजाहद हाबीबुल्लाह को मुख्य सूचना आयुक्त नियूक्त किया । अन्य चार आयुक्त सहाय्यता के लिए नियुक्त किऐ । इसमें कार्मिक मंत्रालय के सचिव, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ओ. पी. केझरीवाल,) पूर्व सचिव डाक विभाग (पद्मावालसुब्रहाण्यम) जामिया मिलिया के प्रोफेसर (एम. एन. एच. अन्सारी) शामिल है। इस विभाग में कार्य करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ नियुक्त नही किया जाना चाहिए । क्योंकि मौजूदा स्टाफ इन कार्यो को अपने कार्य के साथ साथ हि कर सकता है । भारतीय संसद से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित होने से पहले ९ राज्यों ने अपना अपना सूचना का अधिकार कानून बनाया । भारत में सूचना का अधिकार लागू करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडू है । इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में श्री. अण्णा हाजारेजी के नेतृत्व में हो गयी । उन्होंने महाराष्ट्र में सितंम्बर २००३ में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित करावा के लिया और महारष्ट्र के जनता को एक अधिकार प्रदान किया । इसी तरह कर्नाटक २०००, दिल्ली २००१, राजस्थान २००० सूचना के अधिकार की शरुआत हो गयी ।

भारत में सूचना अधिकार से नागरिकों को सरकार विभिन्न निर्णयों की न की सभी की जो राष्ट्र के हितों, देश कि सुरक्षा अथवा आर्थिक, वाणिज्य और अन्य सामाजिक हितों के लिए हो तो जनता से जानकारी छिपाई जाऐ । लेकिन किसी नौकरशाह और राजनितीज्ञ के हितों को आगे बढाने के लिए छिपाई नही जानी चाहीए । भारत में स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद बहुत से कानून बनाऐ गये लेकिन ५८ साल के बाद अन्य कानूनौं से अलग सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया । क्योंकि भारत के सभी अधिनियमों का पालन करने कि जिम्मेदारी लोगों के पर थी और प्रशासन उनपर नियंत्रण रखता था लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम ऐसा है कि इसका पालन प्रशासन कि ओर से किया जाता है । और नियंत्रण भारतीय जनता रखती है । इससे ऐसा लगाता है कि अब भारत में प्रत्यक्ष रुपसे लोकतंत्र कि शुरुआत हो गई है ।

*** श्रीमती सुशिलादेवी देशमुख महिला महाविद्यालय, लातूर ** राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर**